GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 81
TO BE ANSWERED ON THE 30TH JULY, 2024

APEX COMMITTEE ON ACUPUNCTURE

81 SHRI ABDUL WAHAB:

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

(a) the actions taken by Government to recognise acupuncture as a system of health therapy;

(b) whether Government has constituted any apex committee for the purpose and promotion of acupuncture;

(c) if so, the details of recommendations and guidelines by the apex committee;

(d) the actions being taken by Government on the recommendation and guidelines of the committee;

(e) whether Government is considering to form any national level council for acupuncture; and

(f) whether the Ministry has held any discussion with Ministry of Ayush to include acupuncture under Ayush?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SHRI JAGAT PRAKASH NADDA)

(a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 81 * FOR 30TH JULY, 2024

(a) Based on the recommendations of the Standing Committee of Experts, practice of Acupuncture was qualified as a 'mode of therapy'.

Thereafter, an Inter-Departmental Committee (IDC), constituted by the Department of Health Research, had recommended in 2018 that Acupuncture can be accepted as an independent system of healthcare for the indications for which there is evidence and expertise exists for teaching, training and certification.

(b) & (c) After consideration of IDC report, 'Apex Committee on Acupuncture' (ACA) was constituted for the purpose of promotion and regulation of Acupuncture as a system of healthcare / therapy. The recommendations and the guidelines of the ACA include proposed course curricula for certificate, degree and diploma courses in acupuncture; proposed template for rules and regulations for regulating the system, and suggestions for reimbursement for acupuncture treatment. The Committee has further recommended that in order to implement the guidelines, the Government of India may take appropriate decision about establishing an appropriate regulatory mechanism so as to ensure a conducive environment and system for promotion and regulation of practice of acupuncture as a system of healthcare and therapy in the country.

(d) to (f) The recommendations of Apex Committee on Acupuncture for establishing an appropriate regulatory mechanism are under active consideration of the Government. In this regard, a comprehensive consultation, involving multiple departments, including Ministry of AYUSH, has been completed.

******

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

राज्य सभा का तारांकित प्रश्न संख्या 81
30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिया जाना है
एक्यूपंक्चर पर शीर्ष समिति

***81. श्री अब्दुल वहाब:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक्यूपंक्चर को स्वास्थ्य चिकित्सा की एक उपचार प्रणाली के रूप में मान्यता देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई;

(ख) क्या सरकार ने एक्यूपंक्चर के उद्देश्य और संवर्धन के लिए कोई शीर्ष समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो शीर्ष समिति की सिफारिशों और दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) समिति की सिफारिश और दिशा-निर्देशों पर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई;

(ङ) क्या सरकार एक्यूपंक्चर के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की परिषद बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) क्या मंत्रालय ने एक्यूपंक्चर को आयुष के अंतर्गत शामिल करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ कोई चर्चा की है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): यह विवरण सदन के पटल पर रखा जाना है।

*****

30 जुलाई**, 2024** को उत्तर देने हेतु, राज्य सभा का तारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, एक्यूपंक्चर के अभ्यास को 'चिकित्सा उपचार की एक विधा' के रूप में योग्य पाया गया था।

तत्पश्चात, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) ने वर्ष 2018 में यह सिफारिश की थी कि एक्यूपंक्चर को उन संकेतों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिनके लिए साक्ष्य हैं और शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए विशेषज्ञता मौजूद है।

(ख) एवं (ग): आईडीसी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा उपचार की एक प्रणाली के रूप में एक्यूपंक्चर के प्रचार और विनियमन के उद्देश्य से 'एक्यूपंक्चर पर शीर्ष समिति' (एसीए) का गठन किया गया था । एसीए की सिफारिशों और दिशा-निर्देशों में एक्यूपंक्चर में प्रमाण-पत्र, डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम; प्रणाली को विनियमित करने के लिए नियमों और विनियमों के लिए प्रस्तावित टेम्पलेट, और एक्यूपंक्चर उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के लिए सुझाव भी शामिल हैं। समिति ने आगे सिफारिश की है कि दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए, भारत सरकार एक उपयुक्त नियामक तंत्र स्थापित करने के बारे में उचित निर्णय ले सकती है ताकि देश में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपचार की एक प्रणाली के रूप में एक्यूपंक्चर के अभ्यास के प्रचार और विनियमन के लिए अनुकूल वातावरण और प्रणाली सुनिश्चित की जा सके ।

(घ) से (च): एक्यूपंक्चर पर शीर्ष समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि एक उपयुक्त विनियामक तंत्र स्थापित किया जा सके। इस संबंध में आयुष मंत्रालय सहित कई विभागों को लेकर एक व्यापक परामर्श पूरा हो चुका है।

***

SHRI ABDUL WAHAB: Medical Council of India is the regulatory body for doctors. Similarly, is there any proposal with the Government to frame a regulator under any law as far as acupuncture is concerned?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदय, यह प्रश्न Acupuncture की विधा को रिकोग्नाइज़ करने के बारे में है। यह सरकार के active consideration में है और सरकार ने इसमें Standing Committee of Experts for Practice of Acupuncture was qualified as a 'Mode of Therapy' को स्वीकृति देकर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई और उस कमेटी में हेल्थ रिसर्च, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष डिपार्टमेंट, इन सब लोगों ने उसमें deliberate किया और deliberate करने के बाद 2018 में acupuncture को एक्सेप्ट किया as an independent system of healthcare, indications for which there is evidence and expertise exists और इसलिए इसकी टीचिंग, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसी रिकमंडेशन आई। यह IDC की रिपोर्ट के बाद 'Apex Committee on Acupuncture' कॉस्टीट्यूट की गई for the promotion and regulation और रेगुलेशन के साथ-साथ यह कोर्स बनाना, उनको examinations करना, कोर्सेज के साथ-साथ कि डिप्लोमा का क्या कोर्स होगा, डिग्री का क्या कोर्स होगा, क्या उसके टेम्प्लेट होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन्स होंगे, इस पर उन्होंने वर्कआउट करना प्रारंभ किया है। अभी मैं माननीय सदस्य को एक ही बात का आश्वासन देना चाहता हूं, जो इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि इसका appropriate regulatory mechanism develop किया जाए। जैसा इन्होंने कहा MCI - Medical Council of India है, DCI- Dental Council of India है, उसी तरीके आयुर्वेद में उनके अपने आयुर्वेद के काउंसिल्स हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें जो हमारी Inter-Departmental discussions हैं, वे complete हो गई हैं and the Government is deliberating on it.

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary; Shri Abdul Wahab.

SHRI ABDUL WAHAB: I think, they have some needles in their hands. A lot of fake acupuncturists are there in the country. Do you have any plans to weed out these fake doctors?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: We are working fast on it. Very soon, we will come with a regulatory system and after that regulatory system, we are going to see to it किसके पास डिग्री है और किस तरीके से वह प्रैक्टिस कर सकता है।

श्री सभापति: क्वेश्चन नंबर 82; श्री पी. विल्सन; not present. Any supplementaries?

Q. No. 82. [The questioner was absent.]